

स्मृति पत्र

- 1 संस्था का नाम : गीतादीप एजुकेशन सोसायटी
- 2 पंजीकृत पता : मौ0 प्रद्युमन नगर, सहारनपुर (उ0प्र0)
- 3 कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश
- 4 उद्देश्य
1. समाज के पिछड़े हुये उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।
 2. समाज में महिलाओं का शिक्षा के माध्यम से पिछडापन दूर करना।
 3. समाज में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु प्राईमरी से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा संस्थायें, वाचनालय एवं पुस्तकालय खुलवाना व उनका संचालन करना।
 4. समाज विकास के लिये व्यायामशाला व क्रीडा स्थल का प्रबन्ध करना।
 5. सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारित करना तथा विचार गोष्ठी सेमिनार आदि की व्यवस्था करना।
 6. पर्यावरण एवं प्रदूषित वातावरण शुद्ध करना/ कराना।
 7. प्रौढ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
 8. समाज के निर्धन वर्ग के लिये निःशुल्क शिलाई, कढ़ाई, कम्प्यूटर पेंटिंग, डिजाईनिंग आदि में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।
 9. कुष्ठ तथा अपाहिज एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त निराश्रित निःसहाय लोगों की निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्रदान करना।
 10. प्राकृतिक आपदाओं से समाज को जागरूक करना।

सत्य प्रतिनिधि

क्रमशः.....2

सहायक निदेशक
कर्म, समाजसेवा एवं चिट्ठ
सहारनपुर मण्डल नगरनपुर

- 1) Agaly
- 2) Dama
- 3) Akshay
- 4) गीतारानी
- 5) Nibranth
- 6) Anuj Kumar
- 7) Anshu



- 11 महिला एवं बाल विकास के लिये सभी प्रकार के कार्य करना।
- 12 जाति, धर्म और भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष, वैमनस्य की भावना को दूर कर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।
- 13 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करना।
- 14 गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना।
- 15 सरकार की योजनाओं से समाज को जागरूक कराना।

1) Jagdey

2) Kumar

3) Kishore

4) गीता रानी


5) Vikrant

6) Shri Kumar

7) Meenakshi



सत्य प्रतिनिधि


कर्म, सार्वजनिक एवं विद्वत्
सहायनपुर मण्डल सहारनपुर

5-

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पते, पद व व्यवसाय जिनके संस्था के नियमानुसार संस्था के प्रबन्ध एवं संचालन का कार्यभार सौंपा गया है।

क्र. स.	नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र स्व० श्री फकीरचन्द निवासी 2/1436 कोर्ट रोड पुलिस लाइन न्यू आ० वि० सहारनपुर।	अध्यक्ष	नौकरी
2.	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी सब-इलेक्शन ऑफिसर, ऑफिसर कॉलोनी, बिजनौर।	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	श्री प्रशान्त वर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, निवासी 2बी/3078/1 कोर्ट रोड पुलिस लाइन, सहारनपुर	सचिव	व्यापार
4.	श्रीमती गीता रानी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद वर्मा नि० म०न० 2/1436, प्रद्युमन नगर, सहारनपुर	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	श्री विक्रान्त वर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद वर्मा निवासी 2बी/3078, कोर्ट रोड, पुलिस लाइन सहारनपुर।	सदस्य	व्यापार
6.	श्री अनुज कुमार पुत्र श्री सोहन लाल धारिया निवासी नया हसनपुर माजरा ताहरपुर, सहारनपुर।	सदस्य	नौकरी
7.	श्रीमती मिनाक्षी पत्नी श्री अनुज धारिया निवासी नया हसनपुर माजरा ताहरपुर, सहारनपुर।	सदस्य	समाजसेवा



Mikant

Mikant

6. हमने इस सूची को तैयार करने के लिए हमने इस सूची के पत्र तथा संलग्न नियमानुसार के अनुसार सौंपा है।
 1) *Jagdish*
 2) *Mukesh*
 3) *Prashant*
 4) *Gitaraani*

Mikant

सत्य प्रतीति

सहायक निदेशक
 समर्थ, सोसायटीज एवं चिट्स
 सहारनपुर मण्डल सहारनपुर

- 3) *Mikant*
- 5) *Anuj Kumar*
- 7) *Minakshi*

नियमावली

1. संस्था का नाम : गीतादीप एजुकेशन सोसायटी
2. पंजीकृत पता : गौ० प्रद्युमन नगर, सहारनपुर (उ०प्र०)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग:

(अ) आजीवन सदस्य:

: भारतीय नागरिक जो बालिग हो, दिवालिया, पागल, किसी अदालत से सजा आपता न हो तथा संस्था को एक मुश्त रु 11000,00 या इसके समकक्ष समपत्ति प्रदान करे प्रत्येक स्त्री/पुरुष संस्था का आजीवन सदस्य बन सकता है।

(ब) सामान्य सदस्य:

: भारतीय नागरिक जो बालिग हो, पागल दिवालिया, किसी अदालत से सजा आपता न हो तथा जो संस्था को प्रवेश शुल्क रु 10/ तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क रु 10 प्रदान करें। वह पुरुष स्त्री धर्म, समुदाय जाति भाषा के भेदभाव बिना, संस्था का सामान्य सदस्य बन सकता है।


(स) विशिष्ट सदस्य:

: भारतीय नागरिक जो बालिग हो, पागल, दिवालिया, किसी अदालत से सजा आपता न हो, लिंग, जाति, समुदाय तथा भाषा के भेदभाव के बिना और जो संस्था को रु 5000/ एक मुश्त या समकक्ष सम्पत्ति दान कर प्रदान करेगा संस्था का विशिष्ट सदस्य बन सकता है।

5 सदस्यता की समाप्ति

: संस्था को धोखा देने वाले पागल होने पर, मृत्यु होने पर, किसी अदालत द्वारा सजा पर, गबन करने पर, संस्था की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर,

सत्य प्रतिनिधि


सहायक सचिव
फर्म, सोहनोय एवं चिद्वर
सहारनपुर जिला, महाराजपुर

- 1) Jagat
- 2) Duni
- 3) Kishor
- 4) गीता रानी
- 5) Kishorant
- 6) Anuj Kumar
- 7) Meenakshi



त्याग पत्र देने पर, सदस्यता शुल्क अदा न करने पर राष्ट्रद्रोही होने पर, संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

6 संस्था के अंग

- (अ) साधारण सभा :
(ब) कार्यकारिणी सभा।

7 साधारण सभा

- (अ) गठन:
: सभी उपरोक्त वणित सदस्यों के वगों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।
- (ब) बैठके:
: साधारण सभा की बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक अध्यक्ष के विवेक पर अनिवार्य समझते हुए 15 दिन की पूर्व सूचना द्वारा तथा 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कभी भी बुलायी जा सकती है।
- (स) सूचना :
: सामान्य बैठक हेतु 30 दिन तथा विशेष बैठक 15 दिन की पूर्व अवधि: सूचना देने पर कभी भी बुलायी जा सकती है।
- (द) कोरम:
: साधारण सभा की बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों को होगा तथा बैठक 1/3 कोरम पर स्थगित मानी जायेगी।
- (य) वाषिक अधिवेशन :
: साधारण सभा की बैठक अप्रैल में जितना सम्भव हो शीघ्र बुलायी जायेगी और इस बैठक में प्रबंधकारिणी और रावरगों का चुनाव तथा व्यवस्था होने पर सम्बन्धित विषयों पर भी विचार किया जायेगा।

1) Jagdeh

2) Kumar


3) Singh

4) गीता रानी

5) Vikrant

6) Anuj Kumar

7) Meenakshi



संस्था के अध्यक्ष
कर्म, सोसायटी न एच बिट्ट
बहादुरपुर बंगला सहायपुर

(र) साधारण सभा का अधिकार एवं कर्तव्य:

- 1 प्रबन्धकारिणी समिती का प्रत्येक तीन वर्ष पर चुनाव कराना ।
- 2 भावी योजना पर विचार विमर्श करना तथा उसे स्वीकृत करना ।
- 3 संस्था गत वर्ष आय व्यय का अवलोकन करना।
- 4 अध्यक्ष की अनुमति से अवलोकन करना।

8 प्रबन्ध कारिणी सभा:

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव संस्था की साधारण सभा की बैठक में किया जायेगा जिनकी कुल संख्या वर्तमान में 7 (सात) होगी परन्तु भविष्य में पदाधिकारियों एवं सदस्यों की संख्या 31 तक हो सकती है।

(ब) बैठके:

: संस्था के प्रबन्धकारिणी सभा की बैठके कम से कम माह में एक बार होगी तथा आवश्यकता पडने पर आसिमक बैठके अध्यक्ष के अनुरोध पर कभी भी 24 घन्टे की सूचना देने पर बुलायी जा सकती है।

(स) सूचना अवधि :

: प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक 7 दिन पूर्व सूचना देने पर आंभत्रित की जा सकती है तथा आकसिमक बैठक आवश्यकता पडने पर 24 घन्टे की सूचना पर बुलाई जाती है।


(द) कोरम

: बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा तथा स्थगित बैठक 1/3 कोरम पर ही वैध मानी जायेगी और सभी निर्णय सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये जायेगे।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
कम्प, सोसायटी एवं विदुष
सहायपुर मा. 1. सहायपुर

1) Joseph
2) Duma
3) Abhishek
4) गीता राणी
5) Uthraat
6) Singh Kumar
7) Seerabhi



(य) स्थानों की पूर्ति:

: प्रबन्ध कारिणी सभा में यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिती शेष अवधि के लिये साधारण सदस्यों के बहुमत में से करेगी।


(र) प्रबन्धकारिणी सभा का कर्तव्य:

- 1 संस्था के कार्यों को सुचारु रूप से संचालन करना।
- 2 संस्था की उन्नति हेतु चन्दा, अनुदान एवं धन प्राप्त करना तथा उसे संस्था के हित में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगाना।
- 3 संस्था की उन्नति के लिये चल / अचल सम्पत्ति अर्जित करना एवं उसकी देखरेख की व्यवस्था करना।
- 4 संस्था के उद्देश्यों पूर्ति हेतु राज्य सरकार / भारत सरकार, उ० प्र० खादी बोर्ड केन्द्रीय खादी आयोग रु बोर्ड, बैंक तथा अन्य वित्तीय निगम / संस्थाओं से ऋण अनुदान प्राप्त करके अपने कार्यक्रमों का संचालन करना।
- 5 संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति / पदच्युत तथा उनकी सेवा शर्तें नियमानुसार निहित करना।
- 6 संस्था के लेखा जोखा को रखने की व्यवस्था करना।
- 7 आगामी वर्ष के बजट तैयार करना।
- 8 संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समस्त कार्य करना जो आवश्यक तथा नियमानुसार हो।


9 कार्यकाल:

प्रबन्ध कार्यकारणी सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

सत्य प्रतिलिपि


सहायक निदेशक
कर्म, नदीन एवं चिद्वस
बहालपुर मण्डल सहारनपुर

- 1) Jyoti
- 2) Anur
- 3) Anur
- 4) गीतारानी
- 5) Vikrant
- 6) Anur Kumar
- 7) Anur Kumar



10 प्रबन्ध कार्यकारणी सभा के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

: प्रबन्ध कार्यकारणी सभा में निम्न पदाधिकारी एवं सदस्यगण होंगे :

: 1.अध्यक्ष 2.उपाध्यक्ष 3.सचिव 4.कोषाध्यक्ष 5.सदस्य-3

अध्यक्ष :

1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा संस्था के कार्यों की देखरेख एवं मूल्यांकन करना।

2. सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ बैंक सेवा आहरण करना तथा समस्त बिल, बाउचर आदि पर अनुमोदित हस्ताक्षर करना।

3. संस्था की साधारण सभा एवं प्रबन्ध कार्यकारणी सभा द्वारा पारित किये गये प्रस्तावों को कार्यान्वित करना।

4. कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा सेवा मुक्ति की स्वीकृति देना।

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्यों/कर्तव्यों का निष्पादन करना।

1. संस्था की बैठकों को बुलाना एवं प्रबन्ध करना।

2. संस्था के लिये नये वर्ष का बजट बनाना तथा प्रबन्ध कार्यकारणी सभा की स्वीकृति लेकर लेखा-जोखा आडिट करना एवं प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।

3. संस्था हेतु प्रबन्ध कार्यकारणी सभित की स्वीकृति से आर्थिक सहायता ऋण, अनुदान, चर्दा एवं चल, अचल सम्पत्ति जुटाना।

4. संस्था द्वारा जारी चैको पर हस्ताक्षर करना।

5. संस्था के समस्त कागजातों को सुव्यवस्थित ढंग से रख-रखाव करना तथा बाहर भेजे जाने वाले कागजातों को प्रमाणित करना।

कोषाध्यक्ष

1. सदस्यों से प्राप्त शुल्क तथा लेखा-जोखा की रिपोर्ट तैयार करना तथा सम्बन्धित कागजातों व बैंक बुकों का रख-रखाव करना और चैको पर हस्ताक्षर करना।








उद्दिष्ट प्रशासक
कम्प, रजिस्ट्रार एवं चिट्ठे
सहारनपुर मण्डल महाराजगढ़

- 1) Logdy
2) Suma
3) Suma
4) गीता रानी
5) Vikrant
6) Suma उपाध्यक्ष
7) Manabhi सचिव




11. कानूनी कार्यवाही : संस्था से सम्बन्धित समस्त कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष के माध्यम से होगी पक्ष विपक्ष विवादों की पैरवी सचिव करेगा।
12. विसर्जन : यदि संस्था किसी कारणवश समाप्त होती है तो उसके विसर्जन की समस्त कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की धारा 13 व 14 के अनुसार पूर्ण की जायेगी।
13. नियमावली में सशोधन : यदि संस्था के विधान में किसी भी प्रकार का सशोधन करना अनिवार्य हो तो साधारण सभा की विशेष बैठक में 3/5 बहुमत से सशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है।
14. संस्था का कोष : संस्था का कोष खाता किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से खोला जायेगा। संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव में से किसी एक के हस्ताक्षरों द्वारा खाते का संचालन किया जायेगा।
15. आडिट : संस्था को आय व्यय का आडिटर द्वारा कराया जायेगा यदि आवश्यक हुआ तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संस्था के लेखों-जोखों का आडिट कराया जायेगा।
16. संस्था के अभिलेख: 1 सदस्यता रजिस्टर
2 कार्यवाही रजिस्टर
3 स्टॉक रजिस्टर
4 कैश बुक, लेजर आदि।
17. संस्था के समस्त वादों का निस्तारण सहारनपुर न्यायालय में ही होगा।

सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर

1. श्री जगदीश प्रसाद वर्मा 
2. श्री मुकेश कुमार 
3. श्री प्रशान्त वर्मा 
4. श्रीमती गीता रानी 
5. श्री विक्रान्त वर्मा 
6. श्री अनुज कुमार 
7. श्रीमती गीनाक्षी 

सत्य प्रतिनिधि


कर्म, सोसाइटी, सचिव
सहारनपुर संसद सहारनपुर